रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3269] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939
No. 3269] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

का.आ. 3730.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव श्रीमती प्रीति सूदन को श्री सी. के. मिश्रा के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है तथा इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में का.आ. 2722(अ), दिनांक 17 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र के भाग–II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या वी-16011/1/2016–आईएनआई-I, दिनांक 17 अगस्त, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत:

"2. श्रीमती प्रीति सूदन,
सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली।"

[फा. सं. वी-16011/01/2017–आईएनआई-I]

अरुण सिंघल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना का.आ. 1924(अ), दिनांक 16.07.2015 के तहत भारत के राजपत्र (अ) में प्रकाशित हुई थी और इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

(i) का.आ. 454 (अ) दिनांक 12.02.2016

(ii) का.आ. 1052 (अ) दिनांक 11.03.2016

(iii) का.आ. 2722 (अ) दिनांक 17.08.2016

(iv) का.आ. 1848 (अ) दिनांक 08.06.2017

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2017

S.O. 3730(E).—In exercise of powers conferred by Clause (e) of Section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act,1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Smt. Preeti Sudan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in place of Shri C. K. Mishra and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number V-16011/1/2016-INI-I dated the 17th August, 2016, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2722(E) dated 17th August, 2016:—

In the said notification, for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-—

"2. Smt. Preeti Sudan,
Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.''

[F. No. V-16011/01/2017-INI-I]

ARUN SINGHAL, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India (E) *vide* S.O. 1924(E), dated 16.07.2015 and amended further by:

(i) S.O. 454(E) dated 12.02.2016

(ii) S.O. 1052(E) dated 11.03.2016.

(iii) S.O. 2722(E) dated 17.08.2016.

(iv) S.O. 1848(E) dated 08.06.2017.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.27 18:44:39 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.